न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांक: 17.03.2021

प्रकरण संख्या 07/2019 वाद

मथरालाल पिता मोहनलाल मेघवाल उम्र वयस्क निवासी मखनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

..............वादी

॥ बनाम ॥

1. गंगाराम पिता रामा रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
2. नंदलाल पिता भगवाना रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
3. भेरू पिता भगवाना रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
4. शांति पुत्री खेमा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
5. उदय पिता खेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
6. हीरा पिता खेमा रेगर उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता शांतिबाई पत्नी खेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
7. पूजा पिता खेमा रेगर उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता शांतिबाई पत्नी खेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
8. शांतिबाई बेवा खेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
9. मोटू पिता भगवाना रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
10. श्यामलाल पिता भगवाना रेगर उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
11. मट्टूबाई पिता भगवान रेगर उम्र वयस्क पत्नी रामलाल रेगर निवासी नेवड तहसील नीमच
12. कंकू पिता भगवाना रेगर उम वयस्क पत्नी किशना रेगर निवासी बरडा बोरखेडी, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
13. संतोष पिता भगवान रेगर उम्र वयस्क पत्नी ताराचंद रेगर निवासी नेवड तहसील नीमच
14. कंचन पिता भगवाना रेगर उम वयस्क पत्नी रामलाल रेगर निवासी बरडा बोरखेडी, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सा0 भदेसर राज0

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राज. टिन्नेसी एक्ट 1955

उपस्थित– श्री ओंकार रायका वकील वादी

इस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा आसावरा पटवार हल्का आसावरा तहसील शदेसर जिला चित्तौडगढ में स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी पृथक–पृथक अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने स्वामित्व के आधार पर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसकी आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:–

   अ– खाता संख्या 271 संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274 कुल किता 06 कुल रकबा 2.0100 हैक्टयर कुल लगानी 25.87 रूपये स्थित है साक्ष्य में जमाबंदी नकल पेश है। उक्त खाते में वादी का 1/3 वॉ हिस्सा बनता है। साक्ष्य में जमाबंदी नकल पेश है।

2. यह कि गाव आसावरा में कलम संख्या 1 अ में वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार कलम संख्या 1 में वदी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 तक पूर्वानुसार सामाजिक स्तर पर बंटवारा करके सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना विवाद के काश्त करते चले आ रहे है तथा खातेदारान के मध्य विधिवत कोई बंटवाडा नहीं हुआ लेकिन मौके पर पृथक–पृथक काबिज होकर अपने–अपने हिस्से की आराजीयात का उपयोग,उपभोग कर रहे है। लेकिन मौके पर रिकार्डेड बंटवारा नहीं होने के कारण एवं रकबें की कमी पेशी एवं लगान जमा कराने की बात का लेकर हमेशा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के बीच विवाद होता रहता है जिस कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहा कि आपस मिलकर उक्त आराजीयात का रिकार्डेड बंटवाडा करवा देते है। लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने की बात आना कानी करने लगे तथा बंटवाडा करने से मना कर दिया। जिस कारण वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

3. यह कि कलम संख्या 1 अ में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/3 वॉ हिस्सा बनता है जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग,पभोग कर रहा है जिसको वादी ने उँची लागत लगाकर काफी सुधार किया है और अनुपयोगी भूमि को उपयोगी भूमि बनाया है इसलिये अपने द्वारा बनायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Mob. 09667941094

स्ताक्षर वकील

ता. मा. सन्

Scanned by TapScanner

गई उपयोगी भूमि जिस पर वर्तमान में वादी काबिज है जिसको वादी अपने हिससे व कब्जें अनुसार वादी संयुक्त खातें में से अपना हिस्सा प्रतिवादीगण से पृथक से खातेंदारी में दर्ज करवाना चाहता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद भी कराया जाना आवश्यक है कि वादी के कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे जा करावे एवं संयुक्त खातेदारी में से अपना हिस्सा पृथक से खाते में दर्ज कराये जाने का वादी अधिकारी होने से कब्जें अनुसार बंटवाडा किया जाना आवष्यक होने से यह वाद न्यायायल आप श्रीमान् के समक्ष पेश है।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 22.12..2018 को प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात का बंटवाडा करने से मना करने से पैदा होकर प्रति दिवस पैदा होता रहा है।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से प्रस्तुत जमावन्दी मौजा आसावरा की खाता संख्या 271 संवत् 2070–2073 प्रदर्श–1 अनुसार विवादित आराजीयात् पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर जमाबन्दी लोक दस्तावेज है जो संदेह से परे है संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी का माफिक हिस्सा विभाजन चाहा गया गया । प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें भी वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया गया । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हक तक वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा की खाता संख्या 141 की आराजी संख्या 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274 कुल किता 06 कुल रकबा 2.0100 हैक्टयर भूमि में वादी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर.

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner